न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 24/2017 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

.....प्रार्थी

बनाम

1. वीरेन्द्रसिह पुत्र टीकमसिंह कौम कुशवाह निवासी नगला समाहद तहसील रूपवास (भरतपुर)
2. रामप्रसाद पुत्र छीतरिया कौम कुशवाह निवासी चहल तहसील बयाना (भरतपुर)

.....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1878/995 रकवा 1.15 वीघा के विरुद्ध बिना आंबटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–

1–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांकः– 29.10.2021

प्रार्थी तहसीलदार रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य का पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1878/995 रकवा 1.15 किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) तहसील रुपवास में स्थित है। उक्त आराजी राजकीय खाते में सिवायचक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(मकबूजा चारागाह) के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी संवत 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 995/26.15 के रूप में रहा है। विवादित भूमि हुक्मन उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 16.10.1968 से नामान्तरकरण संख्या 664 व जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 328 में गिरधारीलाल वल्द खच्चीराम के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई जो जरिये विरासत व विक्रय नामान्तरकरण संख्या 940, 2343, से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./ 2013/15899 दिनांक 20.02.2014 की अनुपालना में रैफरेस प्रकरण प्रेषित है। प्रार्थी तहसीलदार ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1878/995 रकवा 1.15 बीधा किस्म गैर कदीम पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 664, 940, 2343 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रुपवास से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई, प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया । उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी की किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बिना किसी सक्षम न्यायालय के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गलत तरीके से दे दिये गये हैं। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव, जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 11(151)लो,आ.सं./ 2013/15899 दिनांक 20.02.2014 की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर कदीम (मकबूजा चारागाह) पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 664, 940, 2343 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1878/995 रकवा 1.15 वीघा वाकै ग्राम रूपवास उपखण्ड अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 16.10.1968 से खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त आदेश दिनांक 16.10.1968 आज दिनांक तक बदस्तूर है। जब तक आदेश दिनांक 16.10.1968 कायम है तब तक आदेश की अनुपालना में खोले गये नामान्तरकरण निरस्त नहीं किये जा सकते है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। मुताविक जमाबन्दी संवत 2012–2015 में आराजी खसरा नम्बर 995 रकवा 26 वीघा 15 विस्वा में भूमि प्रकार वाले कॉलम संख्या 8 में "कदीम" दर्ज है। उक्त भूमि आदेश उप जिलाधीश बयाना दिनांक 16.10.1968 से जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 व जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 328 में गिरधारी वल्द खच्चीराम के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई जो जरिये विरासत व विक्रय नामान्तरकरण संख्या 940, 3243 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार रूपवास द्वारा अपने रैफरेस प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3 में विवादित भूमि के चारागाह दर्ज होने के आधार पर खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर

प्रस्तुत किया है जबकि मुताविक जमाबन्दी संवत 2012–2015 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 995 ग्राम रूपवास "कदीम" के रूप में दर्ज है और आदिनांक राजस्व रिकार्ड में "कदीम" के रूप में दर्ज चली आ रही है। "कदीम" किस्म चारागाह श्रेणी में नहीं आती और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित श्रेणियों में आती है। विवादित भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश से खातेदारी में दर्ज होकर जरिये वयनामा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई हे। ऐसी स्थिति में रैफरेंस प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)